खंड: 4, अंक:11 नवंबर 2021

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

पर्यावरण संरक्षण: वैश्विक सरोकार एवं संकल्प

सी जी एस
वैश्विक अध्ययन केंद्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रो सुनील कुमार चौधरी

संपादकीय मण्डल

डॉ रमेश भारद्वाज

डॉ संध्या वर्मा

डॉ महेश कौशिक

डॉ अभिषेक नाथ

डॉ आशीष कुमार शुक्ल

राम किशोर

© सी जी एस 2018

रूपांकन: काजल

संश्लेषण

पर्यावरण संरक्षणः वैश्विक सरोकार एवं संकल्प

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. पर्यावरण संरक्षणः वैश्विक सरोकार एवं संकल्प — संजय स्वामी 4—6
2. पर्यावरण संरक्षण: एक चुनौती और भारत — शंभू 7—13
3. वैश्विक सरोकार हेतु पर्यावरण संरक्षण की व्यापार नीतिया और स्वच्छ पर्यावरण प्रोद्योगिकी — डॉ. अमित अग्रवाल 14—19
4. पर्यावरण सरंक्षण में वैदिक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का महत्व 20—25
   — त्रिदेव
   — डॉ संजय कुमार

संपादकीय

वर्ष 2018 से हिन्दी प्रकाशन के क्षेत्र में अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 40वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हमें एक बार पुनः प्रसन्नता एवं हर्ष का अनुभव हो रहा है।

अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों के माध्यम से वैश्विक अध्ययन केंद्र अब अपने नव परिवर्तनीय रुप में अकादमिक जगत से संबद्ध समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के साथ एक अटूट संबंध बनाए रखने में पुनः सक्रिय रहेगा। शोधपरक लेखन को नये आयाम पर पहुँचाने हेतु वैश्विक अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय निरन्तर प्रयासरत है। शोध केंद्रित मासिक पत्रिका संश्लेषण के अनवरत प्रकाशन द्वारा केंद्र नवलेखकों एवं शोधकर्ताओं को निरन्तर प्रात्साहित कर रहा है।

मानव सभ्यता के विकास ने व्यक्ति के जीवन को सरल एवं सुगम बनाने के साथ जीवन व्यतीत करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध किए हैं। वैज्ञानिक प्रगति व तकनीकी विकास से हमें उत्पादन एवं उपभोग के विभिन्न स्रोत प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से आज हम जिस प्रकार के भौतिक परिवेश में रह रहे हैं वह कई रूपों में उत्कृष्ट हैं। यह प्रगति एवं विकास का मानवीय पक्ष है जो हर रूप में सकारात्मक ही प्रतीत होता है। परंतु, जब हम इसके दूसरे पक्ष की ओर देखते हैं तो वह अधिक नकारात्मक एवं निराशाजनक दिखाई पड़ता है। यह प्रकृति एवं पर्यावरण का पक्ष है। निरंतर हो रही वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी विकास ने जिस जीवन शैली को विकसित किया वह प्रकृति एवं पर्यावरण के सर्वथा प्रतिकूल है। विश्व समुदाय भी इस तथ्य को स्वीकार करता है तथा विभिन्न अवसरों पर इस संदर्भ में अपनी चिंताएँ भी व्यक्त करता रहा है। परंतु इस दिशा में वह किसी ठोस एवं दूरगामी उपाय पर नहीं पहुँच पाया है।

एक ओर विभिन्न देशों के मध्य पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विषयों पर राजनीति देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनता आंदोलनरत रही है।

ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक सरोकारों एवं संकल्प वास्तव में गंभीर हैं अथवा यह विषय भी विकसित बनाम विकासशील का युद्धक्षेत्र मात्र बनकर रह गया है? प्रस्तुत कथ्य ऐसे ही कुछ प्रश्नों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विविध पक्षों के विश्लेषण पर केंद्रित लेखों का समाकलन इस अंक में प्रदर्शित होता है।

परिणामस्वरूप हमें अनेक महत्वपूर्ण लेख इस विषय पर प्राप्त हुए। पाठकों को इन लेखकों के लेख तथा निर्धारित विषय पर ज्ञानवर्धन हेतु पठनीय एवं संग्रहणीय सामग्री उपलब्ध होगी।

संपादक मंडल   मंगलवार, 14 दिसंबर 2021

1

पर्यावरण संरक्षणः वैश्विक सरोकार एवं संकल्प

संजय स्वामी

राष्ट्रीय संयोजक'पर्यावरण शिक्षा', शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास

काश! हम सब पंछी होते

हिन्दू, मुसलमान, सिख न गोरे–काले होते

अंग्रेज, अफ्रीकी, अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच

भारतीय, पाकिस्तानी, ईरानी भी न कहलाते

सीमा (बॉर्डर) पर बैठे

कभी इस डाल कभी उस डाल

न रेंजर्स होते, न बीएसएफ ही होते

उन्मुक्त गगन में विचरण करते

काश! हम सब पंछी होते . .. ।

जमी बाट ली गगन बांट लिया पर क्या साँसों को बांट पाए! आधुनिक प्रगतिशील मानव ने विकास की अंधाधुंध दौड़ में सैकड़ों बांध बना डाले, क्या जल को बांध पाए। चीन ने ग्रेट चाइना वाल बना दी, पूर्वी–पश्चिमी जर्मनी ने दीवार खड़ी कर दी थी पर क्या हवा को रोक पाए ? करोना महामारी के वैश्विक संकट के दरमियाँ अपरिमित वाक युद्ध चला आरोप–प्रत्यारोपों की असीमित मिसाइलें अहर्निश चली, पर क्या कोई विकसित, विकासशील अथवा अल्प विकसित देश थमती सांसो को संजीवनी जुटा पाया!

आज पूरे विश्व के सम्मुख दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं– आतंकवाद और पर्यावरण संकट। आतंकवाद के उपाय के लिए तो अत्याधुनिक हथियार और न जाने कौन–कौन सी आधुनिक तकनीकी उपलब्ध हं। परंतु पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव निर्मित भौतिक साधनो की आवश्यकता नहीं है। अपितु विवेक सम्मत प्रकृति के अंग संग होकर सहज जीवन जीने की आवश्यकता है। आतंकवाद, युद्ध, विकास, तकनीकी का संबंध किसी एक या कुछ देशों तक हो सकता हैय परंतु पर्यावरण राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं से भी परे है। जहां मनुष्य नहीं है,

उससे भी परे अनंत आकाश तक पर्यावरण का संबंध है। गहरे समुद्र की तह तक पर्यावरण का संबंध है। बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियों तक पर्यावरण का विस्तार है। मानव रहित ध्रुव प्रदेश आर्कटिक–अंटार्कटिक तक पर्यावरण का संबंध है। हजारों उपग्रह अंतरिक्ष में निरंतर छोड़े जा रहे हैं उन ग्रह– नक्षत्रों तक ही नहीं अपितु वहां से परे तक भी पर्यावरण का संबंध है। पर्यावरण मनुष्य के जन्म से पूर्व अर्थात मां के गर्भ तक व्याप्त है तथा मनुष्य के इस भौतिक देह को छोड़ देने के पश्चात निर्जीव शरीर का भी पर्यावरण से सरोकार है। शास्त्र सम्मत पार्थिव देह के यथोचित अंतिम संस्कार क्रिया शमशान, कब्रिस्तान तक भारतीय मनीषा पर्यावरण का ध्यान रखती है। पर्यावरण का सरोकार जैविक–अजैविक, सजीव–निर्जीव, जलचर, थलचर, नभचर,स्वेद, अंडज, जरायू सभी से है। जिस प्रकार ईश्वर की सत्ता सर्व व्यापक है। उसी प्रकार पर्यावरण भी सर्वत्र व्याप्त है। पर्यावरण का संबंध प्रत्येक जन से है जन जन के मन से है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक मनुष्य की भागीदारी अपरिहार्य है।

पर्यावरण की निर्मिती में सभी की भूमिका है। जिस प्रकार इस परिमंडल में सभी का अस्तित्व है। जैव विविधता के दायरे में कीट–पतंगे, छिपकली, सांप, मेंढक आदि सरीसृप, गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, सिंह तथा आसमान में उड़ने वाले पंछी चिड़िया, तोते, मैना, कोयल, कबूतर आदि आते है। इन सभी का पर्यावरण से सहज संबंध है, प्रत्यक्ष सरोकार है। पर्यावरण को बनाए रखने में इन सभी का किसी न किसी प्रकार योगदान है। हाँ, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में केवल और केवल मनुष्य और उसकी लिप्सा दोषी है। अतः मानव को ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने की, संरक्षित करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। अपने क्रियाकलापों को प्रकृति के अनुकूल बनाना होगा। इसके लिए मनुष्य की स्वयं की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा वैश्विक स्तर पर सभी सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा कार्यक्रम की आवश्यकता है।

सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन्हें हम राष्ट्र अथवा देश कहते हैं राजनीतिक विज्ञान की भाषा मे वे राजनीतिक इकाइयां हैं अर्थात राज्य कहलाते हैं। राज्यों की भोगोलिक सीमाएं निश्चित है। एक राज्य होने के लिए चार तत्वों का होना आवश्यक है।

१. एक निश्चित भूमि / भूखंड

२. उस पर निवास करने वाला जन समुदाय

३. सरकार (शासन व्यवस्था)

४. संप्रभुता

राज्य की निश्चित परिधि, सीमाएं हैं। उनकी अलग–अलग परिभाषा है किसी राज्य की समुद्री सीमाएं होंगीय किसी की पर्वतीय सीमाएं होंगी। यह पृथ्वी विभिन्न रूप लिए हुए हैं कहीं ऊंचे

ऊंचे शिखर, पर्वत श्रृंखलाएं, गगनचुंबी चोटियां हैं। कहीं पठार है, कहीं गहरी झीलें, कल–कल बहती नदियां हैं। कहीं अथाह गहरे सागर–महासागर हैं। कहीं मरुस्थल है तो कहीं सेंकड़ों मीलों में फैले हरे–भरे घास के मैदान, घने जंगल हैं। परन्तु पर्यावरण का दायरा संकुचित नहीं य वह न सीमाओं में बंधा है, न बाँटा जा सकता है।

ईशोपनिषद का श्लोक है

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् |

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध : कस्यस्विद्धनम् | यजुर्वेद ४०–०१

इस ब्रह्मांड में जड़–चेतन जो भी है वह सब ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है। कण–कण में ईश्वर तत्व रूप में है। उस परमात्मा की दी हुई वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करो, आसक्त होकर नहीं। जितनी आवश्यकता है केवल मात्र उतना ही उपयोग करो, दुरुपयोग न करो और यह बातें भारतीय वांग्मय में आदि काल से कही गई हैं जिस कारण भारतीय जन–जन के हृदय में प्रवाहित है। दुनिया में अपने को अति विकसित कहने वाले पश्चिमी देशों में प्रकृति के संरक्षण के लिए बलिदान की बात कहीं सुनाई नहीं देगी परंतु भारत वह गौरवशाली भूमि है जहां पेड़ों को बचाने के लिए नदियों के संरक्षण के लिए जीवो के संरक्षण के लिए लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया और यह बलिदान की परंपरा सैकड़ों वर्षो से चली आ रही है। शरणागत आए कबूतर की रक्षा के लिए महाराज शिबि ने अपने अंग बाज को काट के दे दिए थे। वृक्षों की रक्षा के लिए सन 1730 में जोधपुर में खेजड़ली गांव में अमृता देवी मैं अपना सिर कटा दिया उनकी बेटी जागो भागो ने अपने सिर कटा दिए परंतु पेड़ नहीं कटने दिए। सर साँटे रुख बचे तो भी सस्तो जाण के उद्‌घोष के साथ 363 लोगों ने अपना बलिदान खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए कर दिया था। अखिल विश्व में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं। दुनिया का सबसे पहला चिपको आंदोलन यही था। गंगा की धारा को निर्मल अविरल बहने के लिए अनेक महात्माओं, पर्यावरण प्रेमियों ने अनशन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए जीडी अग्रवाल सानंद बाबा जैसे नाम इसी क्रम में है। गायों की रक्षा, गौ हत्या बंदी के लिए साठ के दशक में अनेक साधु–संत–महात्माओं ने बलिदान दिया अर्थात भारतीय जन पर्यावरण से अतिशय प्रेम करता है आर उसके संरक्षण–संवर्धन के लिए निरंतर प्राणपन से प्रयास करता रहता है। हमने सर्वे भवंतु सुखिनः की बात मात्र कही नही है यह सूत्र हमारे लिए वेद वाक्य है जिसका हम अनुसरण करते हैं। पश्चिमी देशों से आई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं, शोषण किया है। उन्होंने दुनिया को बाजार समझा है। वहीं भारत ने वसुधैव कुटुंबकम अर्थात दुनिया को अपना घर–परिवार माना है। बाजारवाद के कारण ही उपभोक्ता संस्कृति जन्मी और बढ़ी है। जिसके साथ सांस्कृतिक प्रदूषण, वायु, जल, मृदा व ध्वनि प्रदूषण की विकट समस्या

उत्पन्न हुई है। बाजारवाद अधिकाधिक उत्पादन करके उस उत्पादन को विभिन्न हथकंडे अपनाकर व्यापारियों के माध्यम से बाजार में भेजता है। बाजारवादी संस्कृति किस वस्तु की कितनी आवश्यकता है और कितना उत्पादन करना है इसका विवेक नहीं रखती। पश्चिमी देश पूरी दुनिया में और मुख्य रूप से अफ्रीकी और एशियाई देशों में व्यापार करने आए थे और यहां की अपरिमित प्राकृतिक संपदा को देख उन्होंने इन देशों को अपना उपनिवेश बना लिया और अपने ही जैसे हाड मास वाले लोगों को गुलाम बनाया उनसे पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया आज वे दुनिया को ज्ञान देने की बात करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए एशिया अफ्रीका के देशों को उपदेश देते हैं। एशिया अफ्रीका के पिछडे कहलाने वाले अल्पविकसित देश तो पर्यावरण के साथ ही जी रहे हैं, सदियों से जी रहे थे। जिन बंधुओं को, जो बियाबान जंगलों में प्रकृति के संग ही जीवन यापन करते हैंय प्रकृति के अंग संग होकर ही रहते हैंय मिट्टी ही उनका बिछोना है, नीला आसमाँ उनकी चादर है, पत्ते, लताएं उनके वस्त्र हैं, उनको उन्होंने आदिवासी वनवासी ट्राईबल्स कहा उनका हर प्रकार से शोषण किया उनके स्वावलंबी जीवन को तहस–नहस करने के अनगिनत प्रयास किए। आज वहीं पश्चिमी देश एशिया अफ्रीका के देशों को पर्यावरण को बचाने की वैज्ञानिक तकनीकी बता रहे हैं। जबकि स्वयं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण आज भी सर्वाधिक करते हैं।

भारत पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद के लिए ही जाना जाता है योग और आयुर्वेद प्रकृति के साथ ही संभव हैं। वेद कहते हैं ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि न हो, आयुर्वेद का ज्ञान भी दुनिया के सामने भारत ने ही प्रस्तुत किया। योग से रोग को निर्मूल करने का ज्ञान दिया। अनेक असाध्य रोगों को बिना औषधि के उपचार करने वाली प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भारत ने दुनिया को दी। यह सभी कुछ पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए ही संभव हुआ है। भारतीयों ने अपनी संकल्प शक्ति व वंशानुगत संस्कारों, परंपराओं से मिली सीख से ही प्राकृ तिक संसाधनों को सहेजे रखा है। जबकि पश्चिमी सोच भौतिकवादी जीवन जोने की ही थी और है।

भारतीय परंपराएं पर्यावरण पोषक

भारत के त्यौहार, परंपराएं, रीति रिवाज पर्यावरण के पोषक हैं। भारत के अधिकांश पर्व प्रकृति के ही उत्सव हैं। मकर सक्रांति, वैशाखी, बिहू, ओणम, होली, बड़–अमावस्या, हरियाली तीज, दशहरा,छठ पूजा, गोवर्धन पूजा आदि आदि इन सभी त्योहारों में प्रकृति को सहेजने का दर्शन छिपा है। सभी त्यौहार प्रकृति के संग जीने की शिक्षा देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी को जल,जंगल, जमीन को संरक्षित–सुरक्षित रखने की विधा सिखाते हैं। शादी विवाह में भी प्रकृति से जुड़ी हुई अनेक परंपराओं व रीति–रिवाजों का निर्वहन किया है। शिशु

जन्म पर कुआं पूजन अर्थात जल को प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित रखने की भावना। धार्मिक कार्यक्रमों में आम के पत्तों, पीपल, केले, पान के पत्तों का प्रयोग, तुलसी दल का प्रयोग, दुर्वा घास का प्रयोग अर्थात यह पूजा–पाठ हेतु पवित्र वस्तुएं है इसलिए इनका सम्मान अर्थात इनको नष्ट नहीं करना अपितु इनको सुरक्षित रखना, संवर्धित करने के संस्कार भावी पीढ़ी को सिखाये जाते हैं।

वैश्विक दायित्वों हेतु संकल्प व क्रियान्वयन

भारत पर्यावरण संरक्षण में अपने वैश्विक दायित्वों को पूर्ण सजगता व जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन में भारत ने तय मानकों को सख्ती से लागू किया है। पेट्रोल डीजल के प्रयोग को कम कर उसके प्रतिरूप में सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी तथा बैटरी चालित वाहनों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। भारत के किसान भी पर्यावरण के प्रति अत्यधिक सजग हैं। सिंचाई के लिए डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप लगवा रहे हैं। भारत में सात लाख से अधिक गांव हैं। भारतीय कृषि प्रकृति, मानसून के ऊपर निर्भर है। भारतीय किसान बहुत साधन संपन्न नहीं है परंतु हर्ष की बात है कि पच्चीस हजार किसानों ने सोलर ऊर्जा से संचालित वाटर पंप अपने कृषि कार्यों के लिए लगवा लिए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत ने मात्र आठ वर्ष में अद्भुत प्रदर्शन किया है और भारत को दुनिया में चौथे पायदान पर ला खड़ा कर दिया है। आज जब विश्व के अधिकांश देश कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का चिंतन मंथन कर रहे हैं, भारत ने तो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने की योजना तैयार कर ली है और क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता भारत आज 55000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। पवन ऊर्जा लगभग 40 गीगा वाट तक पहुंच चुकी है। भारत की 7500 किलोमीटर से अधिक समुद्री सीमा है जहां पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कचरे से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। जिससे मृदा व जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना सहज हो रहा है। भारत की कथनी करनी में एकरूपता है। हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक मंचों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कहते हैं वह सभी देशवासियों का संकल्प होता है।

लौटना होगा वैदिक संस्कृति की ओर

भारतीय संस्कृति अरण्य प्रधान रही है। आज भी 21वीं सदी के 2022 में एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका के अनेक देशों के लाखों–करोड़ों नागरिक वनों में ही वास करते हैं। भारत के उत्तर पूर्व के सातों राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य

प्रदेश आदि की अनेक जनजातियां वनों में ही निवास करती हैं। हमारे ऋषि मुनि घने जंगलों में ही आश्रम बना वास करते, विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। आज भी अनेक साधक, सन्यासी वनों में तपस्या, साधना हेतु जाते हैं। दुनिया को प्रदूषण से बचाने के लिए भोगवादी कल्चर से वैदिक संस्कृति की ओर ही लौटना होगा। आज दुनिया के अधिकांश देशों में जल संकट है। दुनिया के सभी महानगरों में वायु खतरनाक स्थिति तक प्रदूषित हो चुकी है। अतिशय जनसंख्या वृद्धि से वनों का ह्रास हुआ है 33 परसेंट के स्थान पर 19– 20ः वन क्षेत्र बचा है। अतः विश्व को भारतीय दर्शनानुसार पंच तत्वों का सम्यक उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण हित संयमपूर्ण जीवन अपनाना होगा।

♦♦♦♦♦

2

पर्यावरण संरक्षण: एक चुनौती और भारत

शंभू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

समकालीन युग में पर्यावरण एक विषय के रूप में वैश्विक राजनीति के मंच पर उभर कर सामने आया है। वैश्विक मंच पर पर्यावरण सरक्षण के लिए विकसित और विकासशील देश साझा प्रयास के माध्यम से पर्यावरण सरक्षण के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त कर उसके लिए ठोस और सकारात्मक कार्यवाही के लिए वचनबंध हो रहे हैं।

पर्यावरणविदो के अनुसार औद्योगिक क्रांति के साथ ही पर्यावरण को दूषित किया जाना आरंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति से ही पर्यावरण में ग्रीन हाउस गस की मात्रा में सबसे अधिक वृद्धि हुई। एक और विकसित देशों नें औद्योगिक क्रांति के नाम पर आर्थिक और भौतिक विकास को सुनिश्चित करने करने का प्रयास किया। पूंजीवाद नें संसाधनो के दोहन को प्रोत्साहित किया और बाजार व्यवस्था को आर्थिक स्तर पर कायम किया। वहो दूसरी तरफ आधुनिकता की चमक ने विकसित देशों को भौतिकवादी रूपी अंधा बना दिया विकसित देश पर्यावरण को दूषित करने लगे यह औद्योगिक क्रांति के द्वारा आर्थिक रूप से सम्पन्न तो हुए लेकिन इसके साथ साथ इन्होने पर्यावरण को भी दूषित किया जो एक प्रकार से सम्पूर्ण विश्व के भविष्य को संकट में डालने के लिए काफी था।

औद्योगिक क्रांति से जिस पूंजीवाद पर आधारित बाजार व्यवस्था के शुरुआत हुई उसने पर्यावरण को दूषित करने में सबसे अहम भूमिका अदा की पर्यावरण में कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गयी। विकसित देशो नें पूंजीवाद और भौतिकवाद के नाम पर पर्यावरण को सबसे ज्यादा दूषित किया हैं।

पर्यावरण के दूषित होने के कारण जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणो में कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा में हो रही निरंतर वृद्धि, उद्योग और चिमनियों से निकलने वाला विषाक्त धुआँ और क्लोरोफ्लोरो कार्बन जैसे विषाक्त गैस शामिल हैं जो लगातार पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं जिसके कारण पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को क्षति पहुचा कर पृथ्वी के वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि कर रही हैं और अम्लीय वर्षा जैसी अपदिक घटनाए घटित हो रही हैं।

समकालीन युग में विकसित और विकाससील देश आपसी सहयोग के द्वारा पर्यावरण सरक्षण के प्रति अपनी चिंता को वैश्विक मंच पर समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं वर्ष 1972 में पर्यावरण सरक्षण को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन पर सर्वप्रथम स्वीडन में स्टाकहोम सम्मेलन आयोगित किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण एक अंतराष्ट्रीय विषय बन गया , इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन्स एनवायरनमेंटल प्रोग्राम UNEP का गठन किया गया। वर्ष 1987 में मॉंट्रियाल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ जिसमे ओजोन परत के श्ररण को रोकने के लिए समझौता किया गया। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिओ में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमे पर्यावरण सरक्षण और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए United Nations Framework Convention on Climate Change का गठन किया गया जिससे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्व्च के आयोजन की शुरुआत हुई। वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जिसका उदेश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करके उसको वर्ष 1990 के स्तर पर लाना था द्य वर्ष 2015 में पेरिस समझौता किया गया यह समझौता बढ़ते तापमान और कार्बन के उत्सर्जन को कम करके सौर ऊर्जा को आगे लाना था ताकि पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके।

हालांकि इन सभी सम्मेलनों और समझौतो के वावजूद भी पर्यावरण सरक्षण एक चुनौती बनी हुई हैं। विकसित देश अपने भौतिक स्वार्थ के कारण इन बाध्यकारी संधियो को गंभीरता से पालन नही करते हैं। विकसित देशो नें भी अपने आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए इन संधियो को पक्षपाती माना हैं और इसका पालन गंभीरता के साथ नही किया हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत

भारत प्रारम्भ स ही पर्यावरण सरक्षण के प्रति सकारात्मक रहा हैं। भारत एक विकासशील देशो की सूची में शामिल हैं और वह सभी अंतराष्ट्रीय संधियो और समझौतो की श्रेणी से अभी बाहर हैं, किन्तु भारत पर्यावरण सरक्षण के प्रति आरंभ से ही भागीदार रहा हैं। भारत नें अंतराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक राजनीति के मंच सदैव अपनी आवाज को उठाया हैं और पर्यावरण को वैश्विक मानते हुए सांझा प्रयास को महत्व प्रदान किया हैं।

अगर हम भारत के समकालीन अतीत को देखे तो पाएगे की भारत की नागरिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सदैव आगे आए हैं और स्वयं के देश की व्यवस्था के विरुद्ध भी पर्यावरण सरक्षण के लिए आंदोलन किए हैं। वर्ष 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो भारत में पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का एक उदाहरण हैं जो पर्यावरण और विकास के संघर्ष को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एक विषय के रूप में लेकर आया। वर्ष 1970 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड

और दक्षिण भारत में अप्पिकों आंदोलन नें भारत में पर्यावरण सरक्षण के प्रति भारतीयो की भूमिका को उजागर किया। भारत के सुंदरलाल बहुगुणा और मेधा पाटकर जैसे पर्यावरणविद नें पर्यावरण आंदोलनो में अहम भूमिका निभाई हैं।

राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी का भी कथन था की "प्रकृति के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नही हैं''।

महात्मा गांधी के विचारा से प्रेरित भारत नें सदैव ही पर्यावरण सरक्षण को प्राथमिकता दी हैं और इसका एक उदाहरण हमे भारतीय संविधान के अनुछेद 48अ में पर्यावरण सरक्षण के रूप में देखने को मिलता हैं जिसमे राज्यो से यह अपेक्षा की गयी हैं की वह पर्यावरण के सरक्षण और सुधार तथा देश के वनो और वन्य जीवो के सरक्षण का उतरदायित्व निभाएगा। वर्ष 1972 के स्टाकहोम सम्मेलन नें भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण सरक्षण की और खीचा भारतीय संविधान के अनुछेद 51 ए (जी) के अंतर्गत नागरिकों को यह कर्तव्य प्रदान करता हैं की वह "प्राकर्तिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करे और सभी जीवधारियो के प्रति दयालु रहे।

वर्तमान में पर्यावरण सरक्षण के प्रति भारत सरकार की चिंता विभिन्न पर्यावरण से संबन्धित कानूनों के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927] वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972] पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986] वन सरक्षण अधिनियम 1980] जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974] वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम1981] राष्ट्रिय वन नीति 1988 इत्यादि पर्यावरण के प्रति सरकार की चिंता को व्यक्त करती हैं।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत पर्यावरण सरक्षण के प्रति अपनी चिंता और भागीदारी को व्यक्त करता रहा हैं इसका एक सबसे बड़ा और सफल उदाहरण वर्ष 2015 में कोप 21 का पेरिस समझौता हैं। पेरिस समझौता नें अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन को अस्तित्व में ले कर आया। यह गठबंधन भारत सरकार के पहल का परिणाम हैं जिसमे भारत नें वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा हैं जिसमे विकसित देश विकासशील देशों के आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे ताकि सौर ऊर्जा का विकास एक विकल्प के रूप में किया जा सके और पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके।

संक्षेप में देखा जाए तो भारत आरंभ से ही पर्यावरण के प्रति चिंतित रहा हैं ग्रामीण और आदिवासी समुदाए अपनी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सहज रहे हैं। भारत सरकार भी राष्ट्रीय

और अंतराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता और भागीदारी का प्रदर्शन करती रही हैं और भारत सरकार सदैव सतत विकास के प्रति उदार रही हैं।

♦♦♦♦♦

3

वैश्विक सरोकार हेतु पर्यावरण संरक्षण की व्यापार नीतियाँ और स्वच्छ पर्यावरण प्रौद्योगिकी

डॉ. अमित अग्रवाल,

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), राजकोय महाविद्यालय, रज़ानगर

विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रति वर्ष वैश्विक पर्यावरण संतुलन तथा संरक्षण को बनाए रखने एवं लोगों को वैश्विक सरोकार एवं संकल्प आदि के सन्दर्भ जागरूक करने के उद्देश्य से सकारात्मक कदम उठाने के लिए 26 नवम्बर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के द्वारा आयोजित किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई जिसके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण आदि में वृद्धि हुई। आज वैश्विक स्तर पर व्यापार नीतियाँ पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल बनाने पर बल दिया जाने लगा है और उद्योगों के लिए स्वच्छ पर्यावरण प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पिछले करीब तीन दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसके संतुलन एवं संरक्षण के सन्दर्भ में पूरा विश्व चिन्तित है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णता, प्राकृतिक प्रवास एवं जगलों में कमी, मरुस्थलीकरण/रेगिस्तान क्षेत्र का विस्तार, जैव विविधता में कमी, ग्लेशियर क्षेत्र में कमी, बढ़ता जनसंख्या घनत्व, सिकुड़ता नदी प्रवाह, ओजोन परत का क्षय, अपशिष्टों का प्रबंधन, अम्ल वर्षा, तेल रिसाव, परिवहन साधनों से वायु प्रदूषण आदि वैश्विक पर्यावरण सरोकार के मुद्दे समकालीन समय में ज्वलंत है।

पृथ्वी तथा वायुमण्डल से मिलकर बना वातावरण जिसे हम दूसरे शब्दों में 'पर्यावरण' कहते हैंय पृथ्वी के भौतिक वातावरण व उसके घटकों स मिलकर बनता है। आवरण यानी वह रक्षा कवच जिसमें हमें आनन्द की अनुभूति होती है, पर्यावरण है। आजकल पर्यावरण संरक्षण का सवाल सबसे अहम है। इसका मानव जीवन से सीधा सम्बन्ध है। विडम्बना है कि इसी प्रकृ ति की उद्योग निरन्तर उपेक्षा कर रहे हैं। उद्योग अपना स्वार्थ कहें या अपने उपभोक्ताओं आवश्यकताओं की पूर्ति की खातिर पर्यावरण का बेदर्दी से विदोहन कर रहे हैं। इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में औद्योगीकरण के चलते अंतरराष्ट्रीय राजगार के नए अवसर मैं वृद्धि हुई और देश की अर्थव्यवस्था 1991 के पश्चात मजबूत हुई, लेकिन औद्योगिक विकास ने हमारे पर्यावरण के आवरण को क्षतिग्रस्त कर दिया। परिणामस्वरूप

आज नदियाँ, समुद्र, जल, भूजल, भूमि, वायु तक उच्च स्तर पर प्रदूषित हो गए हैं। असलियत में कई नदियों का तो अस्तित्व ही मिट गया है और कई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। रासायनिक तत्वों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति निरन्तर घटती जा रही है।

प्रत्येक देश में औद्योगिक विकास अर्थव्यवस्था के विकास का मूल आधार होता है। यह उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि करता है क्योंकि नित्य नए अविष्कार शिक्षा, चिकित्सा, और रहन–सहन के क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं। जिन क्षेत्रों में उद्योग हैं या नए उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ प्रदूषण में वृद्धि होती है। उद्योगों की स्थापना स्वयं में एक मानवीय विकास का महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह उपभोक्ताओं को वस्तुआं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ–साथ रोजगार भी उपलब्ध कराता है। औद्योगीकरण के कारण देश में आत्मनिर्भरता बढ़ती है जिससे उपभोक्ताओं में समृद्धि की भावना जागृत होती है। वैश्विक स्तर पर उद्योगों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। उद्योग प्रदूषण सामान्य प्रदूषण से अधिक भयावह और जानलेवा होता है।

औद्योगिक क्रांति के उपरांत अप्रत्याशित रूप से जीवाश्म ईंधन का बहुत अधिक मात्रा में उपभोग शुरू हो गया जिसके कारण वायु प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हुई। कच्चे माल को पक्के माल में निर्मित करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, गैस उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में कई उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जल प्रदूषित होता है और जैसे उद्योगों द्वारा आसपास की नदी नालों में छोड़ दिया जाता है जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। उद्योगों में संयंत्र एवं अन्य उपकरण बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उप उत्पाद उद्योग भूमि की ऊपरी परत पर डाल देते हैं अथवा जमीन के अंदर रखकर नष्ट कर देते हैं जिससे मृदा प्रदूषण होता ह। कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें तापीय प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे हैं। मौजूदा जलवायु नीतियों के कारण वैश्विक समुदाय पूर्व–औद्योगिक स्तर से लगभग 3° सेल्सियस तापमान वृद्धि का सामना कर रहे है। सीएफसी गैसों क कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। वैश्विक स्तर पर मानव के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ने लगा है। वैश्विक स्तर पर कई प्रजातियाँ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण पौधों और पशुओं की लगभग 1 मिलियन प्रजातियों पर विलुप्ति का संकट बना हुआ जिससे खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है। विश्व के एक–तिहाई मत्स्य भंडार अतिदोहन से प्रभावित है। प्रदूषण के कारण मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जा रही है। सत्संग संबंधी रोग बढ़ रहे हैं और जल जनित बीमारियां मनुष्य को अधिक संख्या में बीमार बना रही हैं। उद्योग भी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने से नहीं बच सकते हैं। उपभोक्ता

के अस्तित्व के साथ साथ उद्योग का अस्तित्व चलता है। प्लास्टिक और प्रदूषण के अन्य रूप विश्व भर में भूमि और जल संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और नवाचारों को त्वरित किया है। निरंतर वृद्धि के साथ यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिये कि यह पर्यावरणीय कार्रवाइयों को भी बढ़ावा देता है। वर्तमान में व्यापार और निवेश को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करन की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण के विशिष्ट उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं– कारखानों में इस्तेमाल कार्बनिक सॉल्वैंट्स द्वारा भूजल और मिट्टी प्रदूषण, रिफाइनरियों और चढ़ाना कारखानों से निकाली गई भारी धातुओं द्वारा मिट्टी और पानी की गुणवत्ता का प्रदूषण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डीजल कणों (कैंसरजन सहित) द्वारा प्रदूषित वायु प्रदूषण औद्योगिक गतिविधियाँ, सल्फर ऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से उत्सर्जित विभिन्न रासायनिक पदाथ आदि के कारण प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे के निपटारे के साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मालोडर, अपशिष्ट एसिड, अपशिष्ट क्षार और कीचड़ का लैंडफिल निपटान रसायनों से संबंधित कारखानों से निकलता है, दूसरी ओर, उत्सर्जन पर और ओजोन परत रिक्तीकरण एक वैश्विक पर्यावरण की समस्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग, ताप विद्युत संयंत्रों, विभिन्न उत्पादन संयंत्र, औद्योगिक उत्सर्जन औद्योगिक प्रदूषण है।

<u>पर्यावरण संरक्षण में व्यापार नीति–नियमों की भूमिका</u>

व्यापार उदारीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच व्यापार नीति–नियमों की भूमिका को काफी पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। मारकेश समझौते, जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना प्रस्तावना में व्यापार को सतत् विकास तथा पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों के अनुरूप होने पर बल दिया गया। स्थापना के समय ही व्यापार और पर्यावरण पर समिति की स्थापना की गई और फिर मंत्रिस्तरीय बैठकों में ऐसी व्यापारिक प्रणाली के महत्त्व पर जोर दिया गया जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों के साथ सतत् विकास का समर्थन करती है। व्यापार नीति–नियमों के विवादों में वृद्धि ने भी पर्यावरण नीति के लक्ष्यों के प्रासंगिक उपायों को निष्पक्ष तरीके से समर्थन किया गया।

पर्यावरणीय सेवाओं पर प्रतिबद्धता, पर्यावरणीय वस्तुओं के व्यापार के लिये गैर–प्रशुल्क बाधाओं, पर्यावरण कानूनों के प्रवर्त्तन, क्षेत्रीय हरित व्यापार को बढ़ावा, जीवाश्म–ईंधन सब्सिडी का तार्किकीकरण, अवैध वन्यजीवों की तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वैच्छिक पर्यावरण–लेबलिंग कार्यक्रम, पर्यावरणीय वस्तुओं पर शुल्क हटाने, व्यापार और स्थिरता तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार एवं समुद्री अपशिष्ट को कम करने जैसे कई मुद्दों को क्षेत्रीय आर द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एशिया–प्रशांत आर्थिक सहयोग, यूरोपीय संघ–कनाडा

व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका–मेक्सिको–कनाडा समझौता, ट्रांस–पैसिफिक पार्टनरशिप के लिये व्यापक और प्रगतिशील समझौता आदि) के केंद्रित अध्याय में सम्मिलित किया गया है। पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को बाध्यकारी रूप निर्धारित करते हैं, जबकि कुछ घरेलू कानून प्रवर्तन पर निर्भर है, इसके अलावा कई नियम केवल सहयोग की आवश्यकता होती है।

पर्यावरण जनित संकट से उत्पन्न जोखिम से निबटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते आवश्यक हैं। विभिन्न देशों की सरकारों या संगठनों या संस्थान या विभिन्न हितधारकों के मध्य एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। लीमा पेरिस एक्शन एजेंडा आदि ग्रीन वैल्यू चौन से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करने के प्रयास हैं। अधिकांश व्यापार समझौतों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय वस्तु को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की जा रही है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संधारणीय लक्ष्यों के अनुरूप व्यापार तथा व्यापार नीतियाँ तैयार की जा रही हैं। विकासशील देशों की आवश्यकताओं और श्रमिकों को न्यायपूर्ण माँग के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय श्रम के आवागमन पर ध्यान दिया जा रहा है। वैश्विक सार्वजनिक खरीद प्रतिवर्ष 9.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। हरित सरकारी खरीद नीतियों में हरित उत्पादों के उपयोग और स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। हरित सरकारी खरीद नीतियों के तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करके प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद की जाती है। संधारणीय मानदंड निर्धारित कर बाजारों में दिशा निर्देश के अनुसार वाहनों विद्युत उपकरण आदि की खरीद की जाती है।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अंतर्गत कार्बन मूल्य निर्धारण व्यवस्था और कार्बन समायोजन सीमांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को अनुकूल किया जा रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए विकासशील देश अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं उन्हें यह वह है कि वह कहीं प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रह जाएं। विकसित देश महँगी प्रौद्योगिकी को निर्धन देशों को हस्तांतरित करने में हिचक रहे हैं। जी–20 आदि जैसे संगठन जीवाश्म ईंधन के अनावश्यक उपभोक्ताओं कम करने पर फोकस कर रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन पर मिलने वाली सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर बल दे रहे हैं। 2025 तक सब्सिडी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पहल पारदर्शिता और रिपोर्टिंग को बढ़ावा दे रही है जिससे सब्सिडी खत्म करने का व्यापार और संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन किया जा सके। उद्योगों के लिए उन बाजार प्रोत्साहन में निवेश करने के लिए मार्ग उजागर किए जा रहे हैं जिससे स्वच्छ प्रौद्योगिकी की का उपयोग बढ़ सके।

<u>उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का विकास</u>

विभिन्न देशों के अन्दर भविष्य में उद्योग ज्यादा से ज्यादा के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ा रहे है इससे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की माँग कई गुणा बढ़ी है। तकनीकी हस्तांतरण, ऊर्जा सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रतिस्पर्धी लागत, एफडीआई, सरकारी सुविधाएं, आपूर्ति–श्रृंखला, सुजलॉन प्रौद्योगिकी, कम कार्बन उत्सर्जित करने वाली ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही हैं। वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा पर होने वाला निवेश 2019 में 152.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2010 के बाद से इस क्षेत्र में विकासशील देशों में होने वाला निवेश विकसित देशों के निवेश के मुकाबले आगे निकल गया है। नवीकरणीय स्रोतों पर विकासशील देशों का निवेश इस क्षेत्र में दुनिया के कुल निवेश का 54 प्रतिशत हो गया है। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन के मामलों में अग्रणी बने रहने के लिए भारत व अन्य दशों को आवश्यक नीतियां तैयार करनी होंगी। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन जैसे ऊर्जा के नए स्रोतों की भी पड़ताल करती रहनी होगी। नई–नई तकनीकों पर शोध कार्यों में पारंगत होने और तकनीक के हस्तांतरण को सुलभ बनाने में भी भारत विश्व स्तर पर एक अहम भूमिका निभाकर विकासशील व विकसित देशों से भागीदारी विकसित कर सकता है।

निष्कर्षः मनुष्य जब तक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होगा जब तक पर्यावरण का संरक्षण कर पाना एक दुष्कर कार्य होगा। मनुष्य में पर्यावरण संरक्षण संस्कृति का विकास करना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तु एवं सेवाओं की माँग में निरंतर वृद्धि हो रही है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर आपूर्ति को बढ़ाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण अनुकूल व्यापार नीतियों एवं नियमों को बनाने से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। उद्योगपति पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तकनीकों को अपनाते हैं। उद्योगपति समाज के विभिन्न हित धारकों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को अपनाकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण सरोकार को मान्यता दे सकते हैं।कोरोना महामारी के दौरान पर्यावरण संरक्षण की नई अवधारणाओं को बल मिला है। समाज के सभी हित धारक उद्योगपति सहित पर्यावरण संरक्षण की नई विधाओं को मजबूत कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के बिना पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक सरोकार को मजबूत करना असंभव है।

संदर्भ सूचीः

Annual Report 2019-20, Ministry of New and Renewable energy.

Tirtha Biswas, “A Green Hydrogen Economy for India,” December 2020, CEEW.

♦♦♦♦♦

4

पर्यावरण सरंक्षण में वैदिक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का महत्व

त्रिदेव

सहायक आचार्य, पर्यावरण अध्ययन विभाग, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (सांध्य)

डॉ संजय कुमार

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (सांध्य)

पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'परित' जिसका अर्थ होता है 'चारों और से' तथा 'आच्छादन अथवा आवरण' जिसका अर्थ होता है 'किसी चीज को ढकने वाली वस्तु' से हुई है। पर्यावरण को सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका अर्थ होता है प्रकृति का आवरण। जीव–जंतुओं मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए पर्यावरण का संतुलित एवं स्वच्छ होना अति आवश्यक है। पर्यावरण और भारतीय संस्कृति का संबंध बेहद प्राचीन है। भारतीय संस्कृति मूल रूप से अरण्यक संस्कृति रही है। इसके साक्ष्य हमें बहुत से प्राचीन ग्रंथों में मिलते है। प्रकृति के पंचमहाभूत–वसुंधरा, जल, पावक, गगन, और समीर मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। वेदों में मूलतः इन पंचमहाभूतों को ही दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है और इनके प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करने पर अत्यधिक बल दिया गया है।

प्रकृति एवं उसके घटकों की आराधना और पर्यावरण संरक्षण वैदिक भारतीय पर्यावरण चिंतन का प्रम्‌ख अंग है। प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण से सम्बन्धित सर्वाधिक सूक्त यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। पर्यावरण से सम्बन्धित सूक्तों की व्याख्यायें ऋग्वेद में उपलब्ध है। प्रकृति के पंचमहाभूत दृ भूमि, जल, पावक, गगन, और समीर की प्राकृतिक विशेषताओं और उनकी क्रियाशीलता का अथर्ववेद में विस्तार से वर्णन किया गया है। वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के रहस्यों, प्रकृति संरक्षण और मानव के स्वभाव को अनुभूत कर लिया था। वेदों में प्राकृतिक तत्वों से अनावश्यक और अमर्यादित छेड़छाड़ करने के दुष्परिणामों की आर भी संकेत किया गया है तथा मानव को सीख भी दी गई है कि पारिस्थितिक सन्तुलन को नष्ट करने के दुष्परिणाम समस्त सृष्टि के लिए हानिकारक होंगे।

भौतिक विकास के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहे विश्व के सभी देशों को अब यह अहसास हो चुका है की विकास रूपी चमक धमक के परिणामस्वरूप उनके द्वारा क्या कीमत चुकाई जा रही है। और इसके दुष्परिणाम किस प्रकार से वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए घातक सिद्ध हो सकते है। वर्तमान मे विश्व की सभी देश मिलकर इन दुष्परिणामों पर मंथन कर रहे हैं। भारत

भी इससे अछूता नहीं है परंतु जहाँ पश्चिमी देश विकास की चकाचौंध मे अपनी पर्यावरणीय संपदा को पहले ध्वस्त कर चुके हैं, वही भारत आज भी अपनी पर्यावरणीय संपदाओ को संभाल के रखने के भरपूर प्रयास कर रहा है।

प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ संतुलन करके चलने के महत्वपूर्ण संस्कार उज्ज्वलित रहे है। वैदिक ऋषियों के द्वारा सभी प्राकृतिक तत्वों को देवीय स्वरूप माना गया है। सरिताओं को जीवन दायिनी कहा गया है। इसी प्रकार बरगद, पीपल, नीम, अशोक, तुलसी, केला, आम, आदि पेड़–पौधों की उपासना की जाती रही है। मध्यकाल एवं मुगलकाल में भी भारत में भी पर्यावरण प्रेम इसी प्रकार बना रहा परंतु अंग्रेजों के आगमन के पश्चात उन्होंने अपने आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरणीय संपदाओ के अंधाधुंध उपभोग प्रारंभ किया।

पर्यावरण के लिए विनाशकारी दोहन नीति के परिणामस्वरूप ब्रिटिश काल में ही भारतीय पर्यावरण में पारिस्थितिकीय असंतुलन स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज पर पड़े पश्चिमी सभ्यता प्रभाव, सरकार की औद्योगीकरण समर्थित नीतियों तथा जनसंख्या विस्फोट के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति के पर्यावरण सरंक्षण से संबंधित संस्कार एवं परम्पराएं धीरे धीरे खत्म होते चले गए। वैश्वीकरण एवं आधुनिकता आड़ में बदलते सामाजिक और घटते मानवीय मूल्य हमारे पर्यावरण को लगातार प्रदूषित करते जा रहे है।

हम इस सत्य को नहीं नकार सकते की यदि वैदिक भारतीय संस्कृति एवं परम्पराएँ न होती तो वर्तमान में भारत की स्थिति पश्चिमी देशों के जैसी होती जो अपनी प्राकृतिक संपदा को वर्षों पहले ही बर्बाद चुके है। वर्तमान मनुष्य की तरह हमारे पूर्वज भी यदि स्वार्थी होते तो शायद हमारी पर्यावरणीय संपदा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी होती। परंतु उन्होंने हमारे वैदिक ग्रंथों मे समाहित पर्यावरण दर्शन के अनुसरण को ही जीवन का आधार माना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय संपदाओ का खजाना प्रदान किया। आज हम भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं में मौजूद पर्यावरण सरंक्षण संबंधी संस्कारों को रूढ़िवादिता कहकर नकार देते है।

यजुर्वेद में प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे का आधार माना गया है। इसके साक्ष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद सहित अन्य वैदिक कालीन वाङ्मयों में मिलते हैं। ऋग्वेद में सुख शांति का मूल ही प्राकृतिक जीवन को माना गया है। वनों में ही हमारी सांस्कृतिक विरासत का संबर्धन हुआ है। वैदिक ऋषियों के द्वारा वृक्षों के बारे कहा गया है कि –

श्वृक्षाद् वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न सम्भवः'

अर्थात् वृक्ष जल है, जल अन्न है, अन्न जीवन है। इसी प्रकार से मत्स्य पुराण में कहा गया है।

'दशकूप समावापीः दशवापी समोह्रद:।

दशह्रद समरूपुत्रो दशपत्र समोद्रुम:।।

इस श्लोक में एक वृक्ष की तुलना मनुष्य के दस संतानों से की गई है। वैदिक ऋषियों द्वारा पृथ्वी और पर्यावरण का प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए अथर्ववेद में कहा गया है –

'माता भूमि: पुत्रो अहं प्रथिव्या:'

अर्थात यह पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अथर्ववेद में पृथ्वी को, अपने में सम्पूर्ण सम्पदा प्रतिष्ठित कर, विश्व के समस्त जीवों का भरण पोषण करने वाली कहा गया है। इसी प्रकार यजुर्वेद में संकल्प व्यक्त गया है की दृ

'मित्रस्याहं भक्षुसा सर्वाणि भूतानि समीक्षे'

अर्थात, सभी प्राणियों के प्रति सह्रदयता का परिचय देना ही जीवन का सही लक्षण है। पारिस्थितिकी तंत्र में भी संरचना और कार्य की दृष्टि से अजैव घटकों (पर्यावरणीय तत्वों) और जैव घटकों (विभिन्न जीव–जन्तुओ) की मिलीजुली इकाई का वर्णन किया जाता है।

भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, बैसाखी, बिहू और पोंगल आदि त्यौहार पूर्ण रूप से प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भी मानव जाति में प्रकृति संरक्षण और उसके प्रति सम्मान की भावना जाग्रत करना हैं। सम्राट विक्रमादित्य और अशोक के शासनकाल में वन की रक्षा सर्वोपरि थी। लगभग 536 वर्ष पूर्व गुरु जम्भेश्वर ने बिश्नोई समाज की स्थापना की। प्रकृति की महत्ता को आधार मान बिश्नोई आचार संहिता का निर्माण किया। अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा प्रकृति संरक्षण को मानव जगत के जीवन चरित्र से जोड़ा। उन्होंने संदेश दिया –

'जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे'

अर्थात वृक्षों की रक्षा एवं जीव–जन्तुओ के प्रति दया का संदेश दिया था। उनके अनुयायियों ने इन्ही उपदेशों को अपनी जीवनशैली का आधार माना। इसी का असर था कि 1730 में अमृता देवी एवं उनकी 2 पुत्रियों सहित बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इस प्रकार के उदाहरण विश्व मे भारतीय संस्कृति के अलावा विरले ही कही देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक और उदाहरण हमें उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा) के चमोली जिले में सन 1973 में चिपको आंदालन के रूप मे भी नजर आता है। जहाँ किसान अपना परंपरागत अधिकार जताते हुए वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध करते नजर आते है। इसमें महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। यहाँ हम यह भी समझ पाते

है कि पर्यावरण सरंक्षण में महिलाओं के योगदान भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है।

प्रकृति एवं मानव क्रियाकलापों के बीच उचित सामंजस्य बनाकर ही पर्यावरण सरंक्षण किया जा सकता है। वेदों मे इसका वर्णन भी उपलब्ध है। प्रकृति की पूर्णता को क्षति न पहुचाते हुए केवल उस से उतना ही ग्रहण करें जितना हमारे लिए आवश्यक हो। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हम भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के बहुमूल्य ज्ञान को भूलते जा रहे है और लगातार पश्चिमीकरण को अपनाते हुए पर्यावरण संपदाओं का अत्यधिक दोहन किए जा रहे है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में हमें कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं जैसे निर्वनीकरण, जैवविविधता ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़ी में वैदिक भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं की और वापस लौटना और उन्हें वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जीवनशैली में उतारना ही एकमात्र विकल्प दिखाई पड़ता है।

निष्कष:

वैदिक भारतीय संस्कृति में पर्यावरण सरंक्षण के लिए इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया है कि प्रकृति के नैसर्गिक चक्र को न तोड़ते हुए उसके अनुकूल जीवनयापन करते हुए ही हम पर्यावरण सरंक्षण में अपना योगदान दे सकते है। वेदों मे पर्यावरण सरंक्षण के लिए अपार ज्ञान उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध होता है की वैदिक भारतीय संस्कृति एवं परंपरा हजारों वर्षों से इसी ज्ञान के सहायता से लगातार गतिशील है। पर्यावरण संकट जो वर्तमान समय मे एक वैश्विक समस्या बन चुकी है उसके लिए पूर्ण मानव समाज को वेदों मे वर्णित पर्यावरण सरंक्षण संबंधी सुझावों को अपनाते हुए पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। मानव, राष्ट्र और विश्व का कल्याण तभी संभव है।

संदर्भ सूचीः

- अग्रवाल, श्रीरामय वेदों में पर्यावरण चिंतन, चिंता, चेतावनीय पाञ्चजन्य, जून 2019.
- माहेश्वरी, शंकर लालय भारतीय संस्कृति मे पर्यावरण सरंक्षणय परिचर्चा, मई 2005.
- चरण, दिनेश कुमारय पर्यावरण और हमारे पूर्वजय शृंखला, अक्टूबर 2018.
- रानी, उमाय वेद विहित पर्यावरण–सरंक्षणाभिधायी विवेचनाय वेदविधा, दिसम्बर 2015
- श्रीवास्तव, नीरजाय पर्यावरण सरंक्षण मे महिलाओं का योगदानय विज्ञान प्रगति, जून 2018-
- https://hindi-webdunia-com/article/hindu&religion/oSfnd&fparu&ls&gh&cpsxk&i;kZoj.k&112060400034_1-htm
- https://hindi-indiawaterportal-org/content/vaedaon&maen&parayaavarana&caintana&caintaa&caetaavanai/content&type&page/1319334468
- https://hindi-indiawaterportal-org/content/vaedaon&maen&parayaavarana&sanataulana&kaa&mahatatava/content&type&page/49470
- https://hindi-indiawaterportal-org/content/vaaidaika&vaanamaya&aura&parayaavarana&sansakartai/content&type&page/47238
- https://www-pravakta-com/in&the&vedas&environment&and&water&conservation/

♦♦♦♦♦

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281